SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

पिछड़ा वर्ग एवं सामाजिक अस्तित्व – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

दिलीप कुमार सोनी, (Ph.D.) समाजशास्त्र विभाग
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
दिलीप कुमार सोनी, (Ph.D.) समाजशास्त्र विभाग
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी,
जिला सीधी, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/06/2021
Revised on : -----
Accepted on : 08/06/2021
Plagiarism : 02% on 02/06/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 2%

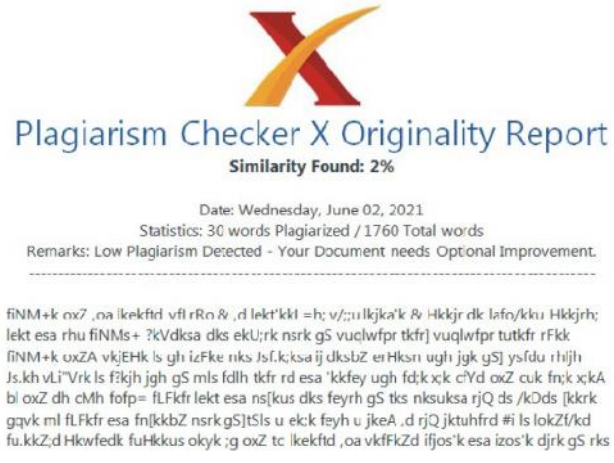

Date: Wednesday, June 02, 2021
Statistics: 30 words Plagiarized / 1760 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

fiNM+k oxZ ,oa lkekftd vfLrRo & ,d lekt'kkL=h; v/;;u lkjka'k & Hkkjr dk lafo/kku Hkkjrh; lekt esa rhu fiNMs+ ?kVdksa dks ekU;rk nsrk gS vuqlwfpr tkfr] vuqlwfpr tutkfr rFkk fiNM+k oxZA vkjEHk ls gh izFke nks Js.k;ksa ij dksbZ erHksn ugh jgk gS] ysfdu rhljh Js.kh vLi"Vrk ls f?kjh jgh gS mls fdlh tkfr rd esa 'kkfey ugh fd;k x;k cfYd oxZ cuk fn;k x;kA bl oxZ dh cMh fofp= fLFkfr lekt esa ns[kus dks feyrh gS tks nksuksa rjQ ds /kDds [kkrk gqvk ml fLFkfr esa fn[kkbZ nsrk gS]tSls u ek;k feyh u jkeA ,d rjQ jktuhfrd #i ls lokZf/kd fu.kkZ;d Hkwfedk fuHkkus okyk ;g oxZ tc lkekftd ,oa vkfFkZd ifjos'k esa izos'k djrk gS rks

शोध सार

भारत का संविधान भारतीय समाज में तीन पिछड़े घटकों को मान्यता देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग। आरम्भ से ही प्रथम दो श्रेणियों पर कोई मतभेद नही रहा है, लेकिन तीसरी श्रेणी अस्पष्टता से घिरी रही है। उसे किसी जाति तक में शामिल नही किया गया बल्कि वर्ग बना दिया गया। इस वर्ग की बडी विचित्र स्थिति समाज में देखने को मिलती है जो दोनों तरफ के धक्के खाता हुआ उस स्थिति में दिखाई देता है, जैसे न माया मिली न राम। एक तरफ राजनीतिक रुप से सर्वाधिक निर्णायक भूमिका निभाने वाला यह वर्ग जब सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में प्रवेश करता है तो कभी वह अगड़ा हो जाता है तो कभी पिछड़ा। यह असमंजस न केवल भ्रम की स्थिति पैदा करता है, बल्कि निर्णकारिता की प्रक्रिया को भी कठिन बनाता है।

मुख्य शब्द

पिछड़ा वर्ग, सामाजिक न्याय, सामाजिक अस्तित्व.

प्रस्तावना

यह बात कम महत्वपूर्ण नही है कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय जनसंख्या के इस पिछड़े घटक को जातियों के रुप मे नही बल्कि वर्गो के रुप में वर्णित किया। इसके कई मायने हो सकते है जिसमें एक कारण तो महत्वपूर्ण रुप से यह हो सकता है कि संविधान निर्माताओं और समाज के प्रहरियो के लिए जाति सूचक शब्द हतोत्साहित करना रहा हो और आधुनिक भारत के निर्धारण कर्ता रहे हो, उन्हे जाति शब्द रुढ़िवादी लगा हो और इसे कमजोर करना चाहते रहे हों। चूंकि जाति के अन्दर केवल हिन्दू समाज ही आ रहा था और पिछड़े वर्ग के अन्दर वह उन सभी वर्गो को सम्मिलित करना चाहते थे जो किसी भी आधार में विकास की मुख्य धारा से

पृथक हो। मोटे तौर पर अन्य पिछड़े वर्गो के अन्दर दो प्रकार की जातियों को शामिल किया जा सकता है एक जिसमें पिछड़ी कृषक जातिया आती है, जिनके पास बड़ी जोतों का नितांत अभाव देखने को मिलता है। यद्यपि ऐसी पिछड़ी कृषक जातियॉ 60–70 प्रतिशत है जो वटाईदार, खेतिहर व मजदूर है, इन जातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। दूसरी में दस्तकार और शिल्पकार जातियाँ शामिल है, जिसमें बुनकर, बढ़ई, लोहार, सुनार आदि आती है। दस्तकार जातियों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, बढते हुए औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण ने इनके व्यवसाय को प्रायः ध्वस्त सा कर दिया है। बुनकरों, कुम्हारों, बढ़ई, मछुआरे, लोहार, सब्जी बेचने वाले, मांस बेचने वाले तथा अनेक ऐसी जातियों की स्थिति सम्पूर्ण भारत में अच्छी नही है। शैक्षणिक वंचना ने इनकी कमर और अधिक तोड़ दी है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए क्षतिपूरक योजनाओं की घोषणा हो रही थी जबकि पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने अपने सुविधा एवं विवेक को देखते हुए ऐसे निर्देश जारी किए थे। अपने अप्रकाशित लेख The OBC Indentity & Treatment of the OBC by the mainstream Ruling political Parties in India में एच.एस.वर्मा इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए कहते है कि– दूसरी बडी चाल थी संविधान में अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान एवं उन्हे अनुसूचित करने को अव्याख्यायित छोड़ देना। इसके अतिरिक्त ऐसे राज्यों ने जिनमे अन्य पिछड़े वर्गो के प्रति ऐतिहासिक परम्परानुसार सकारात्मक रवैया अपनाया जाता रहा है, इन वर्गो के साथ एक अन्य चाल खेली। उन्होने अन्य पिछड़े वर्गो की एक लम्बी सूची तैयार कर ली और इस प्रकार अपनी कुल जनसंख्या का तीन चौथाई भाग इस वर्ग में ले आए।

इस सूची में जो चौकाने वाला मामला आया जब गहराई से इस सूची का पुनरीक्षण किया गया तो इसमें कारीगरों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं यायावरों की जातियों को भी शामिल किया गया था।

अन्य पिछड़े वर्गो के आर्थिक सामाजिक उन्नयन के लिए 1953 में राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग की स्थापना की गई। इसे केलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने पद सोपान की कमी, शैक्षणिक निम्नता, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व नही आदि के आधार पर 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी। केन्द्रीय स्तर पर दूसरा आयोग बी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में मंण्डल आयोग 1978 गठित किया गया। मण्डल आयोग ने सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण सहित कई सुझाव दिए। 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने एक मेमोरेन्डम के द्वारा मण्डल आयोग की सिफारिशों को मान लिया। सरकार के स्वीकार करने के साथ ही छात्र आंदोलन तीव्र हो गया। 19 सितम्बर 1990 में देलही के एक कालेज छात्र के आत्मदाह का प्रथम प्रकरण सामने आया। 16 अक्टूबर 1990 के बीच 160 युवाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया वे सब 25 वर्ष से कम स्कूल, कालेज के छात्र या वेरोजगार थे (सन्डे नवम्बर 4–10, 1990:39)। इस तरह पूरे देश में यह विद्रोह आग की तरह फैल गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भारत सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति को सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़ों का निर्धारण करने का काम दिया। 10 मार्च 1993 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे भारत सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। एन.सी.बी.सी. एक्ट 1993 अंतर्गत नेशनल कमीशन फार वैकवर्ड क्लासेज की स्थापना हुई जिसके चलते इस वर्ग के लोगो को संबंधित मामले कमीशन की परिधि में आ गए। एक अन्य आर्थिक संस्थान 'द नेशनल वैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एंण्ड डबलपमेंण्ट कार्पोरेशन' की भी स्थापना की गई। एन.सी.बी.एफ.डी.सी. की 1992 की स्थापना का उद्देश्य पिछड़े वर्गो की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है।

परिकल्पना

1. पिछड़ा वर्ग को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होने से समाज में यथोचित सम्मान प्राप्त होता है।
2. पिछड़ा वर्ग के प्रति समाज में सामाजिक स्थिति के प्रति भ्रम की स्थिति बनी हुई है ।

विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन जिला सिंगरौली पर आधारित है जिसमें समग्र में से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है, जिसमें यथासम्भव प्रयास किया गया है कि समग्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो

सके। सूचनादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हुए उत्तर प्राप्त किया गया है। जिसमें उत्तर प्राप्त करने के साथ अवलोकन एवं पूरक प्रश्नों के आधार पर दिए गए उत्तर की जाँच एवं भाव–भंगिमाओं को समझने का प्रयास किया गया है।

तालिका क्रमांक 1: समाज में सामाजिक स्वीकृति एवं सम्मान प्राप्त होने संबंधी

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	17	34.00
2.	नही	28	56.00
3.	मालूम नही	05	10.00
	योग	**50**	**100.00**

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

व्याख्या तालिका 1 से पता चलता है कि जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आपको समाज की स्वीकृति प्राप्त है ? क्या आपको समाज में यथोचित सम्मान प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नही में जबाव दिया। उनका मानना है कि एक वर्ग समाज का ऐसा है जो उन्हे अपने से नीचे मानता है तो दूसरा उसे अपने से ऊपर। ऐसी स्थिति में उच्च वर्ग हमे संदेह की निगाह से देखता है और वह न तो यथोचित जगह दे पाता है और न ही वह सम्मान, जिस सम्मान का वह हकदार है। जबकि 34 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाताओं का रहा जो हॉ में जबाव देते हुए यह स्वीकार करता है उसे समाज में यथोचित सम्मान एवं स्थिति दोनो ही प्राप्त होते है, ध्यातव्य है कि इस समूह में वे सभी लोग आते है जिसकी जातीय स्थिति प्रभावकारी नही है बल्कि उनकी समाज में राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत है। जिसे इस तरह भी समझा जाता सकता है कि वह सभी समाजों में अपनी प्रस्थिति को थोप देता है न कि सामान्य स्वीकार्यता है। इसलिए इसे स्थिति का आधार नही माना जाना चाहिए। उत्तरदाताओं में 10 प्रतिशत ऐसे उतरदाताओं का रहा जो असंमजस की स्थिति में है और स्पष्ट व्याख्या करने में अपने आप को असमर्थ पाते है।

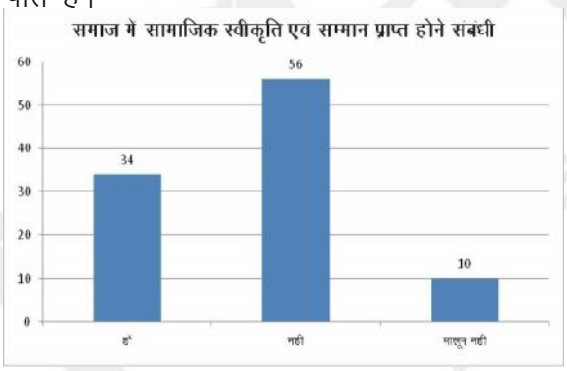

तालिका क्रमांक 2: समाज में सामाजिक स्थिति भ्रमपूर्ण होने संबंधी

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	26	52.00
2.	नही	15	30.00
3.	मालूम नही	09	18.00
	योग	**50**	**100.00**

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

व्याख्या तालिका–2 से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्थिति भ्रमपूर्ण होने संबंधी प्रश्न किए जाने पर सर्वाधिक 52 प्रतिशत ने हाँ मे जबाव देते हुए कहा कि वास्तव में हमें यह समझ में नही आता कि हम समाज में किस स्तर पर है। कभी तो हमे, ऐसा समाज है जो नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब हमारे अंदर ग्लानि की भावना महसूस होती है क्योकि पिछड़ा शब्द अपने आप में काफी कुछ समाज की ओर से परिभाषित है, किन्तु उन्ही

50 उत्तरदाताओं में 30 प्रतिशत ऐसा भी है जो कहता है कि हम सक्षम है, शिक्षित है इसलिए कोई भ्रम जैसी स्थिति नही है। हम अपने आपको बेहतर स्थिति में पाते है। जबकि एक तबका जो इन्ही उत्तरदाताओं में शामिल है, 18 प्रतिशत ने मालूम नही कहकर अपने आप भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा कर देता है।

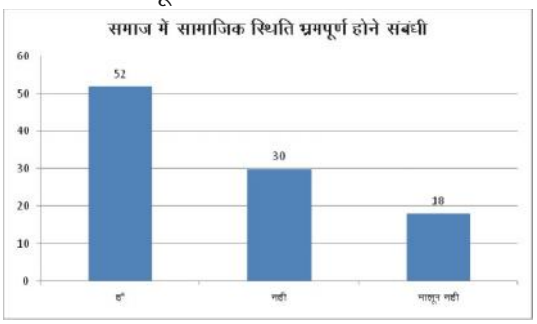

परिकल्पना का सत्यापन

1. तालिका क्रमांक 01 से सर्वाधिक 56 प्रतिशत ने सामाजिक स्थिति एवं सम्मान प्राप्त होने जैसी बातो को नकार दिया है। जिससे परिकल्पना क्रमांक 1 निरस्त की जाती है।
2. तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भ्रमपूर्ण स्थिति को स्वीकार किया है, जिससे परिकल्पना क्रमांक 2 सत्यापित की जाती है।

निष्कर्ष

एक सामूहिक अस्तित्व के रुप में अन्य पिछड़ी जातियाँ अनेक समस्याओं से परेशान है, जिसमें प्रमुख रुप से सही संगठन और पहचान एवं सूचीकरण एवं परिभाषीकरण की है। जब हमें इस वर्ग को पहचानने के लिए समाज के अनुष्ठान, रीति रिवाज, संवैधानिक व्यवस्थाएँ और राजनीतिक जाल से गुजरना होगा, तब जाकर शायद यह पता लग पाए कि यह कौन है? मण्डल रिपोर्ट को प्रेस राजनीतिक दलो और लोगो से आलोचना का धक्का लगने पर सरकार ने अक्टूबर 1990 में घोषणा की थी कि आरक्षण शिक्षा, विज्ञान, सुरक्षा जैसे आवश्यक एवं उच्च पदों पर लागू नही होगे। उच्चतम न्यायालय ने 15 नवम्बर 1992 को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, जिसमें पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर को आरक्षण मुक्त करते हुए विशेषज्ञ सेवाओं एवं सैनिक व संवेदनशील नागरिक पदों को आरक्षण से मुक्त रखा जाए। उच्चतम न्यायालय ने पुरानी राज्य सूचियों को ही मान्यता दी जो मण्डल सूची की आधी थी।

सुझाव

सामाजिक न्याय बनाम अवसरों की समानता का मुद्दा अनेक समस्याओं से घिरा है, जिसका निराकरण होना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि कमजोर वर्ग को उन्नत एवं सजल वर्गो के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सके। साथ ही ऐसी स्थिति भी पैदा करना चाहिए जिससे जागरुकता का प्रादुर्भाव हो और पिछड़ा सदैव पिछड़ा ही न रह जाए बल्कि वह विकास की मुख्य धारा में कदम से कदम मिला कर चल पाएं।

संदर्भ सूची

1. आहूजा, राम, (2020), *सामाजिक समस्याएँ,* रावत पब्लिकेशन्स जयपुर पृ. 159–170
2. Beittelle, Andre; (1994), *The backward classes in Contemporary India*, Delhi oxford university Press.
3. हसनैन, नदीम, (2004), समकालीन भारतीय समाज–एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य, भारत बुक सेन्टर लखनऊ पृ. 145–149
4. शर्मा, एस.आर., (2002), *Protective iscrimination other Backward classes in India.* Dehi Raj Publication.
5. सिंह, रामगोपाल, (2010), *सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष,* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।

****